

## सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 42 / 2011

दर्ज दिनांक:—21.06.2011

1. मुखत्यारसिंह पता— .....प्राथी

बनाम

2. ग्राम पंचायत मडरपुर पता— .....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

विष्णुकुमार

प्राथी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—19.01.18

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार उनके अभिभाषक को बार-बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण इसी स्टेज पर अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर